न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

प्रार्थना पत्र सं. 103/2024

अनुवान इन्द्रा वगैरा बनाम आशाराम वगैरा

आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 24/02/25

1. इन्द्रा पत्नी नथूराम जाति मेघवाल निवासी बलाल तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. लेखराम पुत्र नथूराम जाति मेघवाल निवासी बलाल तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. श्रवण पुत्र नथूराम जाति मेघवाल निवासी बलाल तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. श्रीभगवान पुत्र नथूराम जाति मेघवाल निवासी बलाल तहसील सरदारशहर जिला चूरू

— प्रार्थीगण

बनाम्

1. आशाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी राजासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. भवंराराम पुत्र लिछमणाराम जाति जाट निवासी राजासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

—अप्रार्थीगण

उपस्थिति –

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर, श्री आदेश सींवर विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 एकपक्षीय कार्यवाही
3. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 3

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की सह खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 279 रकबा 7.6400 हैक्टेयर रोही राजास तहसील सरदारशहर में स्थित है। जिसके उतरी–पूर्वी तरफ की भूमि ख0 नं0 277 रकबा 0.5100 हैक्टेयर गै.मु. आबादी व ख0नं0 278 रकबा 1.6400 हैक्टेयर गै.मु. गोचर भूमि स्थित है। उक्त दोनो भूमियों पर अप्रार्थीगण ने बाड़े (भूखण्ड) छाप रखे है। प्रार्थीगण ने अपनी सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 279 का सीमाज्ञान का आवेदन किया था जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 29.06.2024 को सीमा ज्ञान करवाया गया था तथा मौका पर मौका फर्द तैयार की गई तत्समय पड़ौसी खातेदार मौके पर मौजूद [illegible] रिपोर्ट पर मौजिज व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर किये थे। प्रार्थीगण के खेत की भूमि उतरी–पूर्वी सीमा पर स्थित अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 भूखण्डों में सम्मिलित है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 ने सीमाज्ञान की कार्यवाही में उपस्थित रहते हुए भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर नहीं किये और सीमाज्ञान की कार्यवाही के समय प्रार्थीगण के खेत के पडौसी व मौजिज व्यक्ति मौजूद थे तत्समय अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 हल्का पटवारी के नाप से सहमत तो हुए लेकिन लेकिन अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 ने उतरी–पूर्वी सींव

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:27 IST
Reason: SelfAttested

पर सीमाचिन्ह कायम नहीं करने दिये। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 द्वारा प्रार्थीगण को खेत की सींव को लेकर तंग व परेशान करते हैं और अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर प्रार्थीगण के खेत की सींवे नष्ट करते रहते हैं और उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम कर शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में अनावश्यक बाधा पैदा करते चले आ रहे हैं। इस कारण प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 279 रकबा 7.6400 हैक्टेयर रोही राजास तहसील सरदारशहर की उतरी–पूर्वी सीमा जो अप्रार्थीगण के भूखण्डों को लगती है पर पुख्ता निशानात कायम कर हद बन्दी की जानी उचित है। जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 के मध्य तनावपूर्ण स्थिति से छुटकारा मिल सके तथा स्थाई रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 के मध्य सीमा विवाद समाप्त हो सके और शांति से पक्षकार अपनी कृषि भूमियों को काश्त कर उपज ले सकें। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को सीमा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाये जिसके लिए पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करने के लिए कहा तो दिनांक 06.08.2024 को इनकार हो गये। प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान जमाबन्दी तथा नक्शा किश्तवार एवं फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न है। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने आबादी भूमि ख0नं0 277 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि की आड़ में प्रार्थीगण की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 279 रकबा 7.6400 हैक्टेयर रोही राजास की भूमि दबा रखी है। प्रार्थीगण की भूमि मौके पर रकबा से कम है। प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थीगण के बाड़ों में सम्मिलित है। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है। इसलिए ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत ख0नं0 279 रकबा 7.6400 हैक्टेयर रोही राजास तहसील सरदारशहर के खेत की उतरी–पूर्वी सीमा पर पत्थरगढी की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने के आदेश अप्रार्थी सं0 3 को प्रदान करने कृपा करें। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड सम्मन, डाक रजिस्ट्री रसीद व डाक डिलीवरी रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 2 विधिवत तामिल के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं होने पर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 3 को केवल भू धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रकरण में राज्यहित नहीं है। प्रार्थीगण के खेत की उतरी–पूर्वी सीमा पर पत्थरगढी [illegible] होगी। अतः इनका जबाब बन्द कर पत्रावली बहस मुकर्रर की गई।

बहस प्रार्थीगण सुनी [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीगण की सह खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 279 रकबा 7.6400 हैक्टेयर रोही राजास तहसील सरदारशहर [illegible] स्थित है। जिसके उतरी–पूर्वी तरफ की भूमि ख0 नं0 277 रकबा 0.5100 हैक्टेयर गै.मु. आबादी व ख0नं0 278 रकबा 1.6400 हैक्टेयर गै.मु. गोचर भूमि स्थित है। उक्त दोनो भूमियों पर अप्रार्थीगण ने बाड़े (भूखण्ड) छाप रखे है। प्रार्थीगण ने अपनी सह खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 279 का सीमाज्ञान का आवेदन किया था जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 29.06.2024 को सीमा ज्ञान करवाया गया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:27 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति हासिल की। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी कृषि भूमि की कब्जा काश्त में विवाद करते है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार होने से अपने खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकारी है। जिसका खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है। प्रार्थीगण के आवेदन का खण्डन नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र के तथ्यो, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख व प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन व गौर किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया कि कृषि भूमि ख0 नं0 279 रकबा 7.6400 हैक्टेयर रोही राजास तहसील सरदारशहर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण जिस खेत की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं उस खेत के स्वयं प्रार्थीगण खातेदार है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा आदेशित किया जाता है कि वह दक्ष पटवारियों व गिरदावरों की टीम गठित कर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत ख0नं0 279 रकबा 7.6400 हैक्टेयर रोही राजास तहसील सरदारशहर के खेत की उतरी–पूर्वी सीमा पर सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पेमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढी करावे। पेमाईश एवं पत्थरगढी का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेंगे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भानीपुरा को भिजवाई जावे। विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद से निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाये।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.30 14:24:27 IST
Reason: SelfAttested